

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Copyright (Amendment) Bill, 2012 (Discussion Concluded).

MADAM SPEAKER: Now, we shall take up Item No. 29 A – hon. Minister.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Madam Speaker, I remember that when I was a young boy, one of my delights used to be to go to the cinema in the evening and watch a movie. I used to admire the artistic quality, not just of the film but all those elements in the film which provided entertainment to all of us. Over the years, of course, the nature of the film industry has changed. Now, there are many more vehicles of entertainment.

MADAM SPEAKER: Hon. Member please take your seat.

SHRI KAPIL SIBAL: Apart from the cinema, there are other vehicles through which entertainment can reach millions and billions in the world.

Wherever you go in the world, the Indian Film Industry is popular there. Anywhere in the world, people remember our films. If it is Russia, people still remember the song sung by Shri Raj Kapoor - '*awara hoon*'. If I go sometimes to the Eastern European countries, people are singing modern songs that are being sung in Hindi films today. The same situation is in Egypt. There is a huge market for Indian Film Industry in the United States of America, apart from the fact that this is given impetus to artists to produce artistic works of great excellence. It has also become a great business. With the change of technology, new avenues of business have arisen.

Madam, if you really look at the history of the copyright law, the first protection to the copyright law was given way back in 1709 by the Statute of Anne. It is very interesting to note that even the US Constitution has a specific provision on protection to copyright. It is because they realize the importance of intellectual property in the artistic works that emanate from citizens, who have those qualities.

The point that I was making is that this is something that needs to be protected. But, unfortunately, over the years - especially in the context of artists in India - the producers in this country through an assignment took over those rights. Under Section 13 (i) (a) of the Copyright Act, there is protection to the artistic work, whether it is a literary work, a musical work, dramatic work or a performance. So, protection is provided under the Act. So, the artist is the owner of that copyright because he creates that artistic work.

But, unfortunately, there was a provision in Section 17 (i) (b) of the Act under which it was said that the artistic work belongs to the owner, subject to a contract to the contrary. So, what used to happen is that if in a film, a song was to be sung, the producer of the film would go to the artist and say that you have assigned your rights to me unconditionally and you have assigned them forever. The result was that under the Copyright Act, instead of the artist, the producer became the sole author of the copyright. The result of that was, he produced the film, the artist got the benefit of whatever he could get in the film but he sold those rights of which the producer became the owner through other medium. He sold it to music companies; he sold it to telecom companies; and he made all the profits. The result was that the poor author and the poor creator of the copyright did not get any share of the profit. According to me, this is a historic injustice to the creators.

We were enthralled during the event to celebrate the 60th year of Parliament when Santoor was played by Pundit Shiv Kumar Sharma, and how Shubha Mudgal enthralled us by her vocal performance. These are the people who keep our traditions. These are people who are able to tell the rest of the world the enormous wealth of Indian culture. I am sorry to say that whereas we treat them with great respect, the industry, which uses them, shows an enormous amount of disrespect by taking all their rights away. So, I think, a time has come when the whole House should speak in one voice to

correct this historic injustice. This is the first amendment.

There are about seven amendments but I am not going to deal with each section. But broadly one of the things which we wish to do is to ensure that the authors are the owners of the copyright and whereas the copyright can be assigned, the right to royalty cannot be assigned. This is the amendment that we are moving that you can get the assignment from the artist whether it is a music composer or a literary composer but when it comes to payment of royalties through other mediums, then the producers and the authors must share that royalty in equal measure. So, this is the first amendment that I have brought and I am commending it to this House for adoption.

We have also consequentially brought about changes in the Copyright Societies because in the Copyright Societies all the producers control the Copyright Societies because the provision said that the owner of the copyright shall be in the management of the Society and because of Section 17(1)(b), the producer became the owner of the copyright. So, the authors were thrown out of the Copyright Societies and only the producers became owners of the copyright societies and they decided to negotiate with music companies and they decided to sell those works, especially Hindi songs which are famous throughout the world to music companies. They made a killing on them and the poor artist was left in the lurch.

I remember, it was a very sad day, when Ustaad Bismillah Khan came to me and he said that he does not have money to pay his rent. I cut a cheque for him for one whole year so that he could pay his rent. It was a very sad day for me because here was a man who held up the most precious traditions of our culture and he was on the street. I have known of artists like Ravi who could not pay their hospital bills because the producers would not part with their royalty. There are other instances but I do not want to go into these questions. The fact of the matter is that a time has come to correct all these things.

All over the world, there is equitable distribution of royalties. But unfortunately this is not what has been happening in India. Actually, I wanted to give this right to the principal director of films as well. Ultimately, in a film, who are the real artists? They are those who sing songs, those who perform, and those who direct the film. Now a Director is kept out of any profits of the film. He is the one who actually creates the architecture of the film. But unfortunately he does not share any part of the royalty because there is no risk capital involved. It is the producer who risks his capital. Though I made this recommendation to the Standing Committee that the principal director should also partake of the profit, the Standing Committee had thought in its wisdom that the time has not come for the principal director to be included and he too share in the profit of the business. So, I have, in fact, dropped those amendments and I have not pressed on them.

The second issue that I wish to raise before the distinguished Members of this House is that through the advancement of technology, now we can empower the visually impaired. What happens is that if a visually impaired wants to get access to Copy Righted material, the unamended law did not allow him to do so. He would have to pay for it. How many visually impaired people in this country had the capacity and the wherewithal to pay for Copy Righted material? So, we thought, in Government, that it was time for us to ensure that those visually impaired people who want access to Copy Right in any form and format must be given access without payment of any charge. We have brought about that amendment to the Bill and we have added Section 52(i)(z)(b) and I just want to indicate to the hon. Members about what it says and I quote:

"The adaptation, reproduction, issue of copies or communication to the public of any work in any accessible format by any person to facilitate persons with disability to access to works including sharing with any person with disability of such accessible format for private or personal use, educational purpose or research or any organization working for the benefit of the persons with disabilities in case the normal format prevents the enjoyment of such works by such persons provided that the copies of works in such accessible formats are made available to the persons with disabilities on non-profit basis but to recover only the cost of production. Provided further that the organization shall ensure that the copies of work in such a format are used only by persons with disabilities and takes reasonable steps to prevent its entry into ordinary channels of business."

So, all these activities are now free of charge and the visually impaired and persons with disabilities will have access to all forms and formats. But for those who want to make profit and still supply those formats to disabled people, they will also be entitled to, but of course they will have to pay a bit of royalty as decided by the Copy Right Board. So, those are the second set of amendments that I am bringing for commendation of this House.

The third set of amendments that I seek to bring forward is a very curious thing that whereas in the past orphaned works, like persons who have died and there was no heir and there was a Copy Right and nobody knew how to get that work published. So, the original Act had a provision that these orphaned works could well be published after a compulsory license is taken. But there are several unpublished works for which there is no author who is willing to claim title to those

unpublished works and there was no provision in the Copy Right Act to get access to those unpublished works. So, the third set of amendments that I am commending to the House is to ensure that any person who can get access to an unpublished work for which there is no claimant can actually go to the Copy Right Board and can then get unpublished works published through a compulsory license which will give access to thousands and thousands of readers and consumers in this country to those works. That is the third set of amendments that I am commending to this House.

The fourth amendment is with respect to cover versions which are incorporated in Section 31 (c) What used to happen in the past is very interesting and I as a lawyer have argued several cases on it. What used to happen was if you have a song, immediately some company would get another singer to sing that song. So, what they would do is that they would have a cover which would indicate that this is the song, it would be sung by somebody else and the packaging would be done in such a nice manner and the price of it would be more than the original song. So, people make a lot of money on it. They would do it immediately after the song came to the market. Therefore, in other words, they were exploiting somebody else's Copy Right. So, we needed to bring those amendments also into this Act. Now, we say that you cannot exploit any such works until five years have elapsed from the time that the song was first released so that nobody can take advantage of the Copy Right in this fashion and there are several restrictions that we have incorporated in the Cover Versions as well because the Cover Version should not, in any way, mislead or confuse the public. I do not want to go into those details. This is now statutory license regarding Cover Versions which is reflected in Section 31 (c), the compulsory license is reflected in Section 31(a) which is also a new Section.

There is another statutory licence under section (d). This was again a matter of great debate.

What happens to radio companies and broadcasters is the following. The only source of revenue for especially small radio companies with not much investment is the songs. There is no other source of revenue. Television, of course, has different sources of revenue. You have got *Antakshari*, *Kaun Banega Crorepati*, cricket and other sources of revenue. There was a demand that broadcasters together should be subjected to a statutory licence. In other words, there will be no negotiation. The Copyright Board, as a matter of law, under the statute will actually decide on the quantum of money that will be required to be paid by the TV companies to the music companies who have bought over those rights.

Therefore, there was some debate as to whether it should be limited only to radio, and TV should be kept out of it. But ultimately, we decided that TV should be included in it. So, broadcasters, in general, are now subjected to statutory rights. Therefore, the Copyright Board will alone have the jurisdiction to decide the quantum of money that will have to be paid by broadcasters to owners of music which of course, in turn, will include both the producers and the authors in different forms and they will share the profit. That is reflected in section 31 (b) of the amendment.

The other thing that I just wish to mention to you is that globally, we have a couple of International Conventions and International Treaties. The first of its kind was the Berne Convention way back in 1886 but we have some new International Conventions and Treaties that we need to adhere to.

One particular Treaty is the World Intellectual Property Organisation (WIPO), Internet Treaties, namely, WIPO Copyright Treaty called the WCT, and the WIPO Performances and Phonograms Treaty called the WPPT. These two Treaties extend the protection of authors and owners in the digital environment.

Madam, as you know, digital environment is going to be the future of the world. It is in the digital environment that access to music and access to all forms of copyright remain. Performers also are entitled to it. It is not just music directors, persons who create literary works but also performers on a stage are entitled. For example, persons who performed the other day on the stage, that performance itself can be subject to copyright because performers too should have certain rights. Now, these Treaties have not yet been ratified by the Government of India but we wanted to make sure that we are in sync with the essence of those Treaties, with the intent behind those Treaties. So, we have, through section 38(a), given exclusive rights to performers. That is an exclusive right to an actor, a singer, a musician, a dancer, a pantomime artist, a magician, a conjurer, a snake charmer or any other person who performs. All of them are doing creative work. If they are doing creative work, they are entitled to copyright protection. If anybody uses their performance for the purposes of making money, then royalty must be paid to the original performer and therefore, we have included in section 38 exclusive protection to such performers and copyright to the performers. All the rights that are available to authors and others will equally be available to these performers.

We have also included another very important provision with section 38(b) which are moral rights. This is again consistent with the Treaty that I was talking about and these moral rights, according to me, are also extremely rights and I will just indicate it to you.

"The performer of a performance shall, independently of his right after assignment, either wholly or partially of

his right, have the right,

- (a) to claim to be identified as the performer of his performance except where omission is dictated by the manner of the use of the performance; and
- (b) to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation or other modification of his performance that would be prejudicial to his reputation. "

What happens is that, if a commercial enterprise gets hold of a performance, they will edit it in such a way that they will put other things into the performance to change the nature of the performance and they make money on it.

Now, we have said that the performers must have the moral rights and that they are entitled to sue those persons if they mutilate the nature of the performance, change it for the purposes of making money. Therefore, those moral rights are also now incorporated in this Copyright Act. This was the fifth issue that I wanted to commend to the distinguished Members of this House.

The sixth issue is, of course, the exceptions and limitations to copyright. All rights must have limitations. That is underlying in every right in the Constitution of India, whether it is the freedom of speech or the freedom of expression or the freedom to move anywhere in India or the freedom to do trade or the freedom to form associations. So, every right must have a concomitant obligation and restriction. So, even these rights must have restrictions. What are those restrictions? If a student wants to do research in copyrighted material, he cannot be charged. If somebody wants to do research in copyrighted material or wants to teach something, he cannot be charged. If I want to use copyrighted material in a debate in this House, I cannot be charged for that. If I want to use it in a judicial proceeding, I cannot be charged for that. Therefore, naturally, it is necessary to have those restrictions. Sometimes it so happens that because of modern technology a copyrighted material comes to an Internet Service Provider. He keeps it for fifteen seconds and then he gives it to the person who asks for it. Now, that transient period is not an infringement of a copyright because the Internet Service Provider is using it only as a means of communication to the person who is seeking access to that copyright.

Of course, some of these things can be used in current affairs. If an issue comes up in the context of current affairs or a debate comes up in Parliament is reflected in the House, in that context if some copyrighted material is used in the course of that debate, surely the person who uses that material should not be charged for that. Of course, non-profit libraries should not be charged. Many of these copyrighted materials can be used, should be used and must be used in non-profit libraries. That, then, is the other exception that we have provided. But broad indications of the nature of these exceptions have been given. All these exceptions are set out in Section 52 of the Act, which we have amended. This is the sixth issue.

The last one is the amendment which is reflected in Section 65 (a) and Section 65 (b). These amendments are also necessary because we believe that there is a lot of piracy that is happening through technology in this country. A lot of piracy is taking place. People are using technology to take away somebody's copyright and then use that material. We think the time has come to deal with piracy. Therefore, we have incorporated Section 65 (a), which says: "Any person who circumvents an effective technological measure applied for the purpose of protecting any of the rights conferred by this Act, with the intention of infringing such rights, shall be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine."

Then, similarly, Section 65 (b) says: "Any person who is knowingly removes or alters any rights management information without authority or distributes, imports for distribution, broadcasts or communicates to the public, without authority, copies of any work, or performance knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority shall be punishable with imprisonment which may extend to two years and shall also be liable to fine."

These, then, broadly are the nature of the amendments that I commend to the distinguished Members of this House. At the end, I want to say only this. Technology has changed the way we live; technology will also change the way we entertain ourselves; and technology will change the way others will entertain us. I think we need to embrace this technology. We need to amend our Acts to ensure that we have brought them in conformity with the modern needs of the society which our children are going to access in the future.

I commend these amendments to the members of this House.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into

consideration. "

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, इस बिल पर अपनी बात शुरू करने से पहले मुझे तीन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है। सबसे पहला आभार व्यक्त करना है आपके प्रति जिन्होंने इस बिल के महत्व को देखते हुए नियमों में ढील देते हुए विशेष अनुमति देकर आज इस बिल को चर्चा और पारित करने के लिए लगाया। दूसरा आभार व्यक्त करना है एचआरडी मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के सभापति महोदय और सदस्यों के प्रति जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत विचार-विमर्श करके इस बिल में आमूल चूल परिवर्तन करके इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तीसरा आभार व्यक्त करना है मंत्री जी के प्रति कि बहुत जद्दोजहद के बाद ही सही लेकिन कम से कम अंततः आपने इस बिल को उस रूप में स्वीकार किया जो आज हमारा समाधान करता है, जो हिन्दुस्तान के कलाकारों का समाधान करता है।

यह बिल 19 अप्रैल, 2010 को राज्य सभा में पेश किया गया था। 23 अप्रैल, 2010 को राज्य सभा के सभापति जी ने इसे एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी को रैफर कर दिया था। 28 अप्रैल, 2010 को इस बिल के संबंध में एक पत्र बहुत नामचीन कलाकारों ने एचआरडी मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी के सभापति महोदय को लिखा था। अगर उस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम मैं पढ़कर सुनाऊं तो आपको लगेगा कि मैं हिन्दुस्तान के गीत-संगीत के जगत का हूँ इज़ हूँ पढ़ रही हूँ। यह सूची पंडित रवि शंकर से शुरू होती है और श्री ए.आर. रहमान पर खत्म होती है। जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए, उनके नाम हैं - पंडित रवि शंकर, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री हरि प्रसाद चौरसिया, शुभा मुदगल, विशाल भारद्वाज, गुलज़ार, प्रसून जोशी, जगजीत सिंह, जिनका अब निधन हो गया है, शान, सोनू निगम, अल्का याज्ञनिक, अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, प्रीतम, रवि जी जिनका भी देहान्त हो गया है, शंकर, एहसान, लॉस, विशाल शेखर, सतीम, सुलेमान, साजिद, वाजिद, राजू सिंह, जतिन पंडित, ललित पंडित, आनंद, मिलिन्द, समीर, आदि श्रीवास्तव, जतीर शेखानी, जावेद अख्तर, आर. मेरा मुथु, वाणी, विद्या साहू और ए.आर. रहमान। मैंने कहा था कि मैं हूँ इज़ हूँ पढ़ रही हूँ। इन लोगों ने जो पत्र लिखा, वह चार पन्नों का है। मैं सारा पत्र पढ़कर नहीं सुनाना चाहती, लेकिन दो छोटे पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के सभापति महोदय को लिखा -

"Unfortunately, the artiste community in India has been relegated by Film Producers and Music Companies to being virtual non-entities. Film Producers and Music Companies have historically, by the use of their clout and money power, divested authors and composers, of their copyrights vested in lyrics and musical compositions, which are synchronized along with films, or incorporated in sound recordings."

"While the film or sound recording producer is able to exploit the film or recording respectively, the rights of authors and composers in their lyrics and musical compositions have historically been wrested away by the producers."

चार पन्नों का यह पत्र जिसके ये दो पैराग्राफ पूरे हैं, मैंने आपको पढ़कर सुनाए। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के सभापति महोदय ने इसका संज्ञान लिया और उन्हें लगा कि इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मूल बिल इसका समाधान नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने यह संज्ञान लिया तो एक विवेकीय व्यक्ति के नाते यह सोचा कि जहां मैं इन लोगों को बुलाऊं, वहां फिल्म प्रोड्यूसर्स और बाकी स्टैक होल्डर्स को भी बुलाऊं। कमेटी ने इस बिल के बारे में 15 सिटिंग्स कीं। मुझे नहीं मालूम, बहुत कम बिल ऐसे हैं जहां एक बिल के बारे में 15 सिटिंग्स कमेटी करे। स्टैंडिंग कमेटी की प्रस्तावना में लिखा है -

"The Committee interacted with a number of organizations/associations from the film, music and publishing industry, organizations/associations representing the disabled, News Broadcasting Associations, Association for Radio Operators for India, Author's organizations, lyricists/music composers, Artist organizations, Internet service providers, Copyright Board and other organizations".

13.00 hrs.

यह काम कमेटी ने इतनी मेहनत, इतने परिश्रम से किया। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं उस कमेटी के सभापति महोदय और सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वर्तमान स्वरूप बिल में आया है, वह उनके कारण बना।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो बिल मंत्री जी लेकर आये हैं, उस बिल के पारित होने के बाद वह राज धर्म निभाने का काम कर रहे हैं। राज धर्म शब्द का इस्तेमाल मैं जानबूझकर कर रही हूँ। क्योंकि आप राज धर्म निभा रहे हैं, इसीलिए मैं बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ, पूरी तरह समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ। राज धर्म शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज को नापने का पैमाना यह होता है कि वह समाज अपने साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? अगर वह अपने साहित्यकारों का सम्मान करता है, रचनाकारों का सम्मान करता है, तो वह सभ्य समाज कहलाता है। बरसों-बरस जिंदा रहता है, लेकिन अगर वह उन्हें अपमानित करता है, उनकी अनदेखी करता है, उन्हें इग्नोर करता है, तो वह समाज ज्यादा देर बचता नहीं है और कम से कम उस समाज को सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको एक वाक्या सुनाती हूँ। एक बहुत विख्यात परशियन पोट -फिरदौसी हुए हैं। वे 930 ईसवी में पैदा हुए और 1020 ईसवी में उनका निधन हुआ। इतना पुण्या वाक्या है। उनकी एक कृति, रचना है --शाहनामा, जो उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में लिखनी शुरू की और 71 वर्ष की उम्र तक लिखते रहे। उन्हें उसे लिखने में 31 वर्ष लगे। उसमें उन्होंने 60 हजार कप्लेट्स लिखे और चार वंशावतियों के बारे में लिखा। उनकी रचयिता उन्हें एक बार महमूद गजनी के दरबार तक ले गयीं। जो व्यक्ति लेकर गया, वह यह समझ देकर गया था कि एक-एक कप्लेट के बारे में महमूद गजनी बादशाह आपको एक-एक सोने की टि्म देंगे। वे

दरबार में पहुंचते और उन्होंने रचना पेश की। बादशाह ने उलट-पलट कर देखा। उनकी पोएट्री में बहुत रुचि नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इसे 60 हजार चांदी के सिक्के दे दो। सोने के दिरम की जगह चांदी के सिक्के ऑफर किये गये। लेकिन शायर स्वाभिमानी होता है, कवि स्वाभिमानी होता है। उन्होंने वे चांदी के सिक्के ठुकरा दिये और वापिस चले आये। उन्हें लगा कि शायद उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी गुरबत में काटी। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस घटना को एक हजार से ज्यादा वर्ष बीत गये, लेकिन आज भी इतिहास में यह किस्सा दर्ज है और काले धब्बे के तौर पर दर्ज है कि एक बादशाह ने एक पोएट को ठुकराया था।

अध्यक्षा जी, हमारे देश में राजघराने रहे या मुगल बादशाह रहे। उनमें कला और संस्कृति का बहुत सम्मान हुआ। उनके नामों पर अब तो विश्वविद्यालय बन रहे हैं। उन्हें बहुत सम्मान से राज दरबार में बुलाया जाता था। इसीलिए वह कला राजाश्रय पर पनपती थी यानी राज का आसरा। आज लोकतंत्र है, इसलिए लोकाश्रय की आवश्यकता है, तो हम संसद के अंदर खड़े होकर इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन तब राजाश्रय पर पनपता था। जब अंग्रेज आये, तो उन्हें कवि की जरूरत नहीं थी। वे हमारी कला और संस्कृति का संवर्धन नहीं चाहते थे। वे कला और संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे। उन्हें डंडे से राज चलाना था, इसलिए उन्हें कवि से ज्यादा जरूरत कोतवाल की थी। इसीलिए मिर्जा गालिब की जिंदगी में वह वाक्या घटा। जब एक कोतवाल ने मिर्जा साहब को छः महीने की बामुश्कत कैद और 200 रुपये का जुर्माना सुनाया था। उस समय मिर्जा गालिब ने एक नज्म लिखी थी। वह गजल बहुत चर्चित हुई।

दोस्त गमखवारी में मेरी, सई फरमायेने क्या,

जरूम के भरने तलक नाखून बढ़ जायेने क्या।।

उसका एक आखिरी शेर है--

है अब इस मामूरे में, कहते गमे उलाफत असद

हमने यह माना कि दिल्ली में रहें, खारयेने क्या।।

अंग्रेज के जमाने में मिर्जा गालिब को खाने के लाले पड़ गये। खारयेने क्या पर नज्म लिख डाली। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, तो एक उम्मीद जगी कि अब किसी मिर्जा गालिब को खाने के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा। चिंता करके यह नज्म नहीं लिखनी पड़ेगी कि अगर दिल्ली में रहें, खारयेने क्या? चिंता करेगा भारत, चिंता करेगे हमारे शासक, चिंता करेगे हमारे राज करने वाले, चिंता करेगा समाज और इसलिए किसी को इस तरह का दिन देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, भारत भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। हिन्दुस्तान ने उनको वह नहीं दिया, जो उनका देय बनता था, जो उनका ड्यू बनता था।

अध्यक्षा जी, एक दिन मैं अपनी डाक देख रही थी, उसमें एक कागज आया। उस पर लिखा था हेल्प मुबारक बेगम। मुझे लगा कि किसी पीड़ित मुस्लिम महिला के बारे में लिखा होगा। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैं एकदम से स्मृतिपटल पर पीछे पहुंच गयी, वह महिला कोई आम महिला नहीं थी, वह महिला वह मुबारक बेगम थी, जो साठ के दशक में चर्चित हुई थी अपने उस गीत के लिए जो उसने गाया था "हमारी याद आएगी" फिल्म में।

अध्यक्षा जी, आप स्वयं लेखिका भी हैं और बहुत अच्छी रचनाकार होने के नाते बहुत कृपालु और करुणामयी भी हैं। आपको याद होगा वह गीत - "हमारी याद आएगी" यह फिल्म थी वर्ष 1960-61 की। उसमें मुबारक बेगम ने गाया था - "कभी तन्हाइयों में यूँ हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे, तो बिजली कौंध जाएगी।" मैं आपको दो लाइनें पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या लिखा था उस कागज़ में Help Mubarak Begum – I just read an article from India Abroad regarding Mubarak Begum. No one from the film industry has come to help. It is so sad. She lived in a two-bedroom apartment in Mumbai with her son, his wife and four daughters. He has no money. Her son drives kids to school. If anyone can help, send her money at Mubarak Begum, Sultanabad Chirag Co-operative Housing Society, Building No.22, First Floor, Flat No.C-111, Jogeshwari West, Mumbai.

यह एक मुबारक बेगम की बात नहीं है। उसके बाद मेरे पास एक दूसरा कागज़ आया जिसमें लिखा था - Bollywood – from Raja to Runk. उसमें एक किस्सा लिखा था - Khan Mastana, Mohammad Rafi's co-singer in the famous patriotic number - वतन की राह में वतन के नौजवां शहीद हों - died as a beggar at the Haji Ali Dargah in Mumbai.

अध्यक्षा जी, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत पुरानी बातें कर रही हूँ, शायद आज की जेनरेशन न मुबारक बेगम को जानती है, न खान मस्ताना को जानती है, इसलिए मैं अब की बात करती हूँ। एक गीत, जो मुझे लगता है आपको भी पसंद होगा - "ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो न।" एक बार जावेद अख्तर साहब मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, सुषमा जी, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि यह गीत आपका प्रिय गीत है। मैंने कहा, जी हां। एक नहीं अनेक इंटरव्यूज में मैंने कहा है कि यह मेरा प्रिय गीत है। उन्होंने कहा, क्या आपको मालूम है कि इसके संगीतकार कुलदीप सिंह जी अंधेरी में एक झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए, मैं उनसे संपर्क साधूंगी। उन्होंने कहा, मैं आपको भी उनका एड्रेस दूंगा और उनसे भी जाकर कहूंगा कि वह आपसे संपर्क करें। जावेद साहब उनसे मिलने गए होंगे। उन्होंने उनको बताया कि मैं उनसे मिलकर आया हूँ और मैंने उन्हें कहा कि यह गीत उनका प्रिय गीत है। मुझे कुलदीप सिंह जी की चिढ़ी आई। यह पत्र जिसकी दो-एक बातें मैं आपको सुनाती हूँ -

"श्री जावेद अख्तर साहब से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको हमारा गाना -इतनी शक्ति हमें देना दाता - पसंद आया, लेकिन आपको जानकर निराशा होगी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो न, ने हमें मन के विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। आर्थिक दृष्टि से हमें फूटी कौड़ी तक नसीब न हुई। म्यूजिक कंपनी इस गीत को लेने के लिए तैयार ही नहीं थी, बड़ी मिन्नतों के बाद मात्र 15,000 रुपये में पूरी फिल्म का संगीत प्रोड्यूसर से खरीदा गया और प्रोड्यूसर ने अपने बाकी खर्च बताकर हमें तुच्छ सी रकम से भी वंचित कर दिया। किसी भी देश में इस प्रकार का इकलौता कार्य भी कलाकार को आजीवन जीविका देने में सक्षम होता है। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं।"

यह कुलदीप सिंह जी के अपने हाथ से लिखी हुई विद्दी है और गीत कौन सा, जो गीत स्कूल की प्रार्थना बन गया, कितने ही स्कूलों की प्रार्थना बन गया। जिसकी रिंग टोन बन गयी, कॉलर ट्यून्स बन गयीं। सबसे ज्यादा यह गीत लोगों को पसंद आता है कॉलर ट्यून्स के तौर पर कि जब हम सुनते हैं - ऐसी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो ना, तो अंदर का आत्मबल बढ़ जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मन का विश्वास कमजोर होने के अलावा कुछ नहीं मिला। हम रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। उस समय मुझे साहिर लुधियानवी का एक गीत याद आया,

हम फूल हैं औरों के लिए ताए हैं खुशबू,

आपने लिए तो ले-देके बस एक दाग़ मिला है।

अशकों ने जो पाया, वो गीतों में दिया है,

इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है।

अध्यक्ष जी, आज मैं उसी गिले को दूर करने के लिए खड़ी हूँ। मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आज यह बिल पारित होगा, तो वह गिला दूर होगा। सरकार चेती है, दोनों सदन चेते हैं, बहुत दिन से जो अपनी जिम्मेदारी हम नहीं निभा पा रहे थे, आज चेत कर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम खड़े हुए हैं।

जब यह बिल राज्य सभा में पारित हुआ और पता चला कि लोक सभा में मैं इस पर बोलने वाली हूँ, तो कुछ लोगों ने मुझसे सम्पर्क किया। उन्होंने कहा कि वयों फिल्म निर्माताओं से विरोध मोल लेती हो। इतनी बड़ी-बड़ी हरितयां हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स इस बिल के खिलाफ हैं और आप आर्टिस्टों की बात करेंगी। मैंने उन्हें कहा था कि इस देश के जिन राजनेताओं का फिल्म निर्माताओं से सबसे मधुर रिश्ता है, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने इस देश के फिल्म निर्माता के लिए वह किया है, जो किसी राजनेता ने पहले नहीं किया। यहां पर सूचना और प्रसारण मंत्री जी बैठी हैं।

इस देश में 40 बरसों से यह मांग हो रही थी कि फिल्म को उद्योग घोषित किया जाए, क्योंकि फिल्म निर्माण के लिए बैंकों से ऋण नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में फिल्म संसार फंसा था। जब मैं 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी, तो फिल्म निर्माताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे से मिलने आया था। उन्होंने कहा कि हम 40 साल से यह मांग कर रहे हैं, क्या सुषमा जी आप यह कर सकेंगी। मैंने उन्हें तीन महीने का समय दिया था और कहा था कि तारीख तय कर लो, तीन महीने बाद आप फंक्शन करना और मैं गजेट नोटिफिकेशन साथ लेकर आऊंगी, फिल्म को उद्योग घोषित करने का। आज आत्म संतोष के साथ मैं यहां कहना चाहती हूँ, गवाह हैं वे फाइल्स, आप जाकर देख लें अम्बिका सोनी जी, पूरे तीन महीने के बाद जो तारीख तय की थी, मैं तब मुम्बई के तीला होटल में, जहां यह कार्यक्रम हुआ था। मैं अपने साथ तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी को साथ लेकर गई थी। मेरे साथ उस समय के सूचना प्रसारण सचिव पीयूष मांकड़ भी गए थे, उस गजेट नोटिफिकेशन को लेकर। वह काम जो 40 साल में नहीं हुआ था, वह तीन महीने में हुआ था। उसके बाद फिल्म उद्योग बना और आज उसे करोड़ों रूपए बैंकों से ऋण के रूप में मिल रहे हैं, क्योंकि मेरी सोच थी कि अच्छे पैसे और अच्छी फिल्म का बड़ा सीधा रिश्ता होता है।

जब फिल्म निर्माता दिवकत में थे तो मैं उनके साथ दमदारी के साथ खड़ी रही। आज न्याय इन कलाकारों के पक्ष में है, आज न्याय इन गीतकारों और संगीतकारों के पक्ष में है। मेरी दुविधा तो उस दिन खत्म हो गई, जब इन फिल्म कम्पोजर्स के साथ विशाल भारद्वाज मुझसे मिलने आए। सब बैठे थे और उनके साथ विशाल जी भी थे, तो मैंने कहा कि विशाल जी आप, आप तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर भी हूँ और म्यूजिक कम्पोजर भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके साथ अन्याय हो रहा है इसलिए मैं फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं आया। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि इनके साथ होने वाला अन्याय आप खत्म कराएं और सरकार का साथ देकर जो बिल आ रहा है, उसे पारित कराएं।

मैंने उस समय उन्हें आश्वासन दिया था कि अगर थोड़ी बहुत दुविधा भी मेरे दिमाग में होती, तो वह भी आज आपने समाप्त कर दी, क्योंकि आज आप दो हैंड्स पहने हैं, आप दोनों की पीड़ा और बातें जानते हैं, लेकिन आपने इस पीड़ा का साथ दिया, आपने इनकी वेदना का साथ दिया इसलिए मेरी दुविधा मिट गई। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि सात बिंदु ताए हैं मंत्री जी, जिसका उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने जिन दीन-दुखियारों के साथ, विजुअली इमपेयर्ड के लिए जो किया है, वह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है।

आज टेवनोलॉजी बढ़ी है, उसका तरह-तरह से प्रयोग हो रहा है। आखिर में यह कापीराइट बिल में संशोधन हम कलाकारों के लिए वयों ला रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ। एक समय था जब मल्टीप्लिकेशन केवल ग्रामोफोन के माध्यम से होता था। उसे देहाती भाषा में तवा बोलते थे, तवा लगा दो। उसके ऊपर एक भोंपू होता था, एक कुत्ता बना होता था, एचएमवी यानि डिज़ मारटर्स वॉएस। अकेला ग्रामोफोन होता था, लेकिन उसके बाद कैसेट्स आई, सीडीज़ आई, डीवीडीज़ आई, इंटरनेट प्रोवाइडर्स बने, टेलीविज़न आया। टेलीविज़न की तो यह हालत है कि कोई न्यूज़ चैनल जो खुद को 24 घंटे का न्यूज़ चैनल कहता है, वह भी कम से कम एक प्रोग्राम गीतों का या उस पर आधारित कार्यक्रम न दिखाए तो वह चैनल नहीं चलता है। न्यूज़ चैनल में भी फिल्मों के गीत चलते हैं। कितना मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इस सारी टेवनोलॉजी का फायदा फिल्म प्रोड्यूसर्स उठाएं, लेकिन जिसने बोल लिखे और जिसने धुन बनायी, उसे कोई हिस्सा न मिले, वह गुरबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाए, क्या यह न्याय है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि फिल्म निर्माताओं का साथ देना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वे इतना पैसा कमा ले, लेकिन इन लोगों को कुछ न मिले।

कुछ लोग कहते हैं कि गाना एक्टर पर फिल्माया जाता है इसलिए प्रसिद्ध होता है। नहीं, यह गलत है। कितने गीत हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं है कि किस एक्टर पर फिल्माए गए थे। गीत जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो केवल गीत के बोल याद रहते हैं या उसकी धुन याद रहती है।...**(व्यवधान)**

बहुत अच्छी बात है और मैं यह सुनकर बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि गीत के बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है तो केवल दो चीजें याद रहती हैं, गीत के बोल और गीत की धुन। किसी को याद नहीं रहता कि फिल्म में किस एक्टर पर यह गीत फिल्माया गया था। दो चीजें सर्वदा के लिए अमर होती हैं, गीत के बोल और गीत की धुन और वही चलती है। ऑथर और कम्पोजर यानी गीतकार और संगीतकार के लिए यह बिल लेकर आए हैं। वे सारी प्रोवीज़न्स इन्होंने पढ़कर बता दी हैं, मैं उनको दोबारा पढ़ना नहीं चाहूंगी, लेकिन धारा सात, आठ और नौ में इन्होंने जो मूल विधेयक था, उसकी धारा 17 में जो संशोधन मंत्री जी ने किया है, 18 और 19 में जो संशोधन किया है, वह काबिले तारीफ है। क्योंकि वही समाधान करेगा और मुझे खुशी हुई कि आपने उसमें यह भी लिख दिया कि Any agreement to the contrary will be void क्योंकि बहुत बार दबाव के बाद समझौते हो जाते हैं और ऐसे समझौते कर लिए जाते हैं जिनसे कानून की धाराएं रिडनडेंट हो

जाती हैं। लेकिन आपने एक कदम आगे जाकर कहा कि Any agreement to the contrary will be void. इसलिए मैं आपको बधाई देती हूँ। मैंने जितनी बातें यहां रखी हैं, जो दर्द और वेदना उन लोगों की मैंने यहां रखी है, आपने यह देखा होगा कि मंत्री तो खड़े होकर कहते हैं और निवेदन करते हैं कि मेरा बिल पारित कर दीजिए, लेकिन आज इस बिल को मंत्री जी के सुर में सुर मिलाकर मैं पक्षी बच्चों से कह रही हूँ कि इस बिल को सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यह बिल दुआ देने वाला बिल होगा। आज हम आशीर्वाद लें उन कलाकारों का, उन साहित्यकारों और रचनाकारों का, जिनकी आज तक अनदेखी होती रही और साथ ही उन दीन-हीन दुखियारों का जिनके बारे में आप यह बिल लेकर आए हैं।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Madam Speaker. It is a rare privilege to be able to support fully every word spoken by the hon. Leader of the Opposition in respect to this Bill that is before the House today.

I would like to join her in commending not only the hon. Minister for having brought the Bill forward, the Chairman of the Standing Committee on Human Resource Development for having accepted the creative suggestions from the artistic community and you for allowing this to be introduced in short notice, but I would also like to add to that my commendation for the outstanding speech by the hon. Leader of the Opposition with whom, I think, none of us in this House can possibly disagree.

Madam Speaker, the problem is that though the Indian Copyright Act of 1957 in its current form holds in most instances that the creator of a work is its rightful owner, except when the piece is created under contract where it goes to the company that has commissioned the work, the companies have taken advantage of this as the Leader of the Opposition pointed out by getting artists to sign contracts that are not to their own advantage.

In the 1960s, the Nightingale of India, Lata Mangeshkar Ji, raised the issue that in the music industry, composers and musicians, once they sold their work to companies, receive nothing more than the agreed price and any income from the distribution of these songs went to the companies. This is the real problem, Madam Speaker. The companies, once they reimburse musicians once having got the work they feel that they have complete control over the work which they may assign as they wish and how they wish reaping all the attended income.

Now, it gets further complicated because in music you are no longer looking at just one time deal, there is now the phenomenon of re-mixings where very often old songs are revived, played by new artists with new instruments, but with the same lyrics and with the same tune and suddenly these old songs, revived and re-mixed, bring in large amounts of money for the companies that own these songs.

But for all, one knows the composer of yesteryear, the singer of yesteryear, the person who wrote the lyrics, the composer who created the tune, they may be dying in penury because they are excluded from any of the benefits, any share of such income by the companies.

13.20 hrs (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

In fact, I must say the fact that the Minister has thought of this also in the Bill and put in a five year period before songs can be de-done, remixed, and changed. This is a very positive development in the Bill and I would particularly like to draw attention to it because the works are ultimately the intellectual property of the creators and they should have a say in what is done with their music, how it can be altered, remixed or changed.

The fact is that there are essentially two rights at stake here. There is the sound recording and there is the underlying work, the composition, the tune. When a song is played anywhere, on radio, on your computer, on your ringtone of your cellphone, really two sets of royalties have to be generated; two sets of people have to be rewarded. One is those who have done the recording, that is the producer, perhaps the company, and the other is those who have done the performance, the lyricist and the composer. The idea was always that a fair deal would be 50:50 between these two. Fifty per cent for those who have taken the capital risk and produced the music, that is the work, and fifty per cent for those who actually thought it up. At the moment, what happens is that the one 50 per cent is cribbing on the other 50 per cent. It is like the story of the Arab in the tent. The camel is outside the tent and puts his nose into the tent. And after a while the head comes in and soon the camel is inside the tent and the Arab is outside the tent. That is what is happening. The composers, the lyricists, they are outside the tent and the music companies have occupied all the space.

This is something we need to do. We need to deal with the basic issue that the creative parties in the music business should have a say over their work. Their right is vested not, it seems to me, in the companies. The companies have taken the wrong analogy. They have, sort of, acted as if they are building a building and they have commissioned somebody to actually put the brick and the mortars and build the wall. Once the wall is built, the building belongs to the owner. But

music and creativity is not like that. Music, any creative art, is not the result of a mere monetary investment. The business side is important but it has to respect the feelings of the creative parties by granting them a commercial success in their works. In fact, Sushma ji read out from the letter that was sent by the very distinguished galaxy of artists. I would like to read another, different part of the letter because she is right that the fact that they have become non-entities was an important part of that letter. But in the end of the letter, they specifically asked that the Committee should, in the Bill, secure the right to royalty in favour of authors and composers as a non-assignable and non-waivable right. Thus in doing so, the irrevocable right of authors and composers to secure a royalty is protected against the monetary interest of music companies and film producers.

This is exactly what we have seen done by the Committee, accepted by the Minister, in Clauses 8 and 9 of the Bill before us today which amends Section 18 and Section 19 of the Copyright Act. I think this is particularly impressive as the Leader of the Opposition pointed out, this letter, making this request, has been signed by a veritable who-is-who of the creative industry. We have every one from Pandit Ravi Shankar, Ustad Amjad Ali Khan to modern icons like A.R. Rahman and Shankar-Ehsaan-Loy. It is extremely important that we respect and stand in solidarity with these great names of our music industry. If I may say so, respecting creativity, I have been, in a modest way, a creative writer myself. And I want to say to this House, we must understand that creativity is not something that can be measured in a simple output. It is not a measurable job of work. A song that you listen to for 5 minutes might have taken 50 hours to compose. Where that inspiration comes from? What part of human genius or divine genius the composer has stepped into, the lyricist has stepped into, for that no price can be put. It is so important to say that it is impossible to measure the value of the creative spark in human beings. What goes into a creation? I can borrow a story that I witnessed from a different field, the field of artistry. I once saw a Chinese brushwork artist at work in which, with several swift strokes of his special brush, he produced a brushwork painting in about three minutes. The people gather there asked: "What would the charge be for this?" He said: "I think, \$ 25,000." They said: "25,000 for three minutes' work?" He said: "Three minutes, and 40 years of my life". That is the experience, the creativity, the talent that goes into producing that three minutes' work and the same applies to the singer. A five minutes' song is not seeking reward for five minutes; it is seeking reward for the fifty years, perhaps, or the fifty hours at the very minimum that have gone into conceiving it, composing it, discussing it, changing it. How many drafts of the lyrics have been torn up and discarded before new lyrics can be written? These are the kinds of the acts for which we are seeking recompense and it will be fair that it be given. The Christian Bible says that man does not live by bread alone. We all know that human nourishment is not just the nourishment of bread or food; it is a nourishment that comes from the creative spark that enriches life. After all, why should you eat bread? To survive? You need to do more. You need to create. And that creativity therefore is so precious and vital. ...(*Interruptions*)

This creative spark which cannot be reduced to a few rupees must be honoured and is being honoured in this Bill. I would like, therefore, since the House is understandably impatient for lunch, to bring this argument to a close by stressing that there is also a long tradition in our country, in the legislative traditions of this House and this Parliament of passing laws that protect the weaker individual against the stronger institution. That is also something we are standing for today. These may be great names with whom we enhance our own stature by expressing solidarity with, say, Pandit Ravi Shankar, Ustad Amjad Ali Khan, Javed Akhtar, and A.R. Rahman, but the fact that in so doing we are also standing up for the weaker in this equation because individual is never able to stand up on his own against the strength of a powerful corporation. In that context, the particular help given in this Bill for the visually impaired needs to be applauded. This is a Bill that stands up for the weaker elements of our creative society, and I would join the Leader of the Opposition in commending its adoption to this House.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और विस्तार पूर्वक मंत्री जी ने और सुषमा जी ने इस पर विस्तार से कहा लेकिन हिन्दुस्तान में यदि आध्यात्मिक बातें जिन्हें कहते हैं, जो कहीं दर्शाती हैं या जिनका कहीं एहसास होता है या जो कहीं चित्रित होती हैं तो वह कलाकारों में ही होती हैं और खासकर जो क्लासिकल म्यूजिक चलाने वाले लोग हैं, जैसे अली अकबर जी जब सुरों को साधते हैं तो मन को बहुत शांति मिलती है। बाबा अलाउद्दीन दुनिया में क्लासिकल म्यूजिक के सबसे बड़े मास्टर हैं। ये जितने नाम सुषमा जी ने दिये, जैसे रवि शंकर जी, अली अकबर जी और भी कई नाम हैं जो बंगाल से लेकर सर्वव्याप्त हैं, सुषमा जी ने बहुत तार छोड़े थे तो मेरा मन भी बहुत देर तक बोलने का था लेकिन आपने रचनाकारों, संगीतकारों और कलाकारों को जो कई वर्षों से कॉपीराइट से अलग थे, जो धकेल दिये गये थे, उन्हें इसमें अंदर लाने का काम किया है। यह आज आपने अच्छा काम किया है। मेरी आपके किसी काम में सहमति नहीं होती थी लेकिन इस काम में मेरी आपसे सहमति है। हिन्दुस्तान में यदि गौरव करने की कोई चीज है तो यह है कि इस देश की धरती ने जीरो से न्यूमेरिकल बनाया। स रे ग म सात स्वरो की सुरुआत दुनिया की सब तरह की अच्छी बुरी आवाज समेटती है। थरुर साहब सही बात कह रहे थे कि यह पांच मिनट का काम नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। जीवन भर की साधना से स्वर बनता है, चाहे चित्रकार हो या कोई और हो। सुषमा जी ने जितने नाम लिए, आज तो वे हैं।

महोदय, बैजू बावरा की फिल्म का म्यूजिक है। इसमें भीम सैन जोशी का मुकाबला मन्ना डे से होता है। आज भी "ए दुनिया के रखवाले" गीत स्वरो में तैरता हुआ गीत है। हिन्दुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में स्वरो की साधना और कम्पोजिंग करने वाले और बैकग्राउंड में रचना करने वाले संगीतकार बहुत गजब लोग हुए हैं। अब जो

गाने आ रहे हैं वे तो स्वयं को मार रहे हैं, साधना को मार रहे हैं। हिंदुस्तान में एक चीज और करनी चाहिए लोक संगीत पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की धरती का वलासिकल म्यूजिक लोक संगीत से निकल कर आया है। कुमार गंधर्व लोक संगीत गाते थे, मैंने ऐसी महफिल देखी नहीं थी जो इनकी लगती थी। हिंदुस्तान के भक्ति काल के कवि कबीर पर अभंग गाते थे। मैं जबलपुर के उस इलाके से आता हूँ जहाँ बाबा अलाउद्दीन साहब मस्तर में रहते थे। यहाँ सतना के माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह बैठे हैं। इस बिल में आज हम इनके हक को बहाल कर रहे हैं लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके दस्तखत करने वालों के बारे में सुषमा जी ने पढ़ा है। नीरज जी ने इस देश के गौरवशाली गीतों को गाया है। वे जिंदा हैं लेकिन उनकी बुढ़ी हालत है। आपने ऐसे लोगों को एक तरह से प्रोटेक्शन दी है। लेकिन बहुत लोग रह गए हैं इसलिए इस बिल का सिलसिला यूँ ही खत्म नहीं होना चाहिए।

महोदय, बिरहा गाने वाले लोग हैं। राजस्थान और बुंदेलखंड के लोगों ने कई गाने गाए हैं, जैसे "कौआ काटे" "जिसकी बीवी छोटी, उसका भी बड़ा नाम है"। ये सब बुंदेलखंड से आए गीत हैं। चूंकि इनके बनाने वाले सदियों में थे, वे गीत लोगों के दिल में दर्द, दुख को दो वाक्यों में कहते थे। मार्क्स मार्क्सवाद की पोथी लिखी लेकिन उससे सैंकड़ों वर्ष पहले कबीर ने कह दिया था -

"साई इतना दीजिए, जा में कुटुम्ब समाए

में भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए।"

अतिरिक्त कमाई समाज की है, यह कबीर जी इतने सालों पहले कह गए। कबीर जी पर सारे वलासिकल म्यूजिक संगीतकार तान छेड़ते हैं तो स्वयं के साथ लिपटकर कबीर और मीरा की वाणी चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से लोग छूट गए हैं। सुषमा जी ने काफी बातें कह दी हैं, मैं इसमें कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जा हमारा भारत का संगीत है, उसकी जो आत्मा है, उसमें जो साधना है, उसमें पूरी का पूरी जिंदगी बीत जाती है।

इसी सवाल के साथ मैं चाइल्ड लेबर का मामला भी जोड़ना चाहता हूँ कि यदि शंकर यदि बचपन में अलाउद्दीन साहब के साथ नहीं जाते तो अली अकबर की उंगलियाँ इस तरह से नहीं चलतीं। इस तरह से नहीं थिरकतीं... (व्यवधान) वह बात आपकी सही है। हमने तो आज़ादी के बाद उसी तरफ देखना शुरू कर दिया। इसका क्या इलाज है? हम तो हर चीज आईपीएल से लेकर नाचने, गाने तक सब उन्हीं को ही देखकर कर रहे हैं। नाचना, ड्रडंग और गाने एक से एक... (व्यवधान) आज बांसुरी वलासिकल म्यूजिक में आ गई है। बिसमिल्लाह खां साहब ने शहनाई में वलासिकल म्यूजिक निकाल दिया और पंडित चौरसिया जो हैं, उन्होंने बांसुरी को वलासिकल म्यूजिक में डाल दिया। इसी तरह से पन्नालाल घाँोष हैं, किशोरी अमोनकर हैं, छुन्नू महाराज हैं, एक से बढ़कर एक लोग हैं, कुछ लोगों के इस पर दस्तखत नहीं हैं लेकिन छुन्नू महाराज जब दुमरी गाते हैं तो बात ही कुछ और होती है और राजन और साजन, इनका क्या कहना? बनारस तो संगीत का बहुत बड़ा ठिकाना है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जो राजस्थान का लोक गीत है और जो लोक गायक हैं, उनका सारा संगीत वलासिकल संगीत पर आधारित है। हुवमदेव जी अभी यहाँ से चले गये हैं, वह भोजपुरी में गाते बजाते हैं।

महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान यदि किसी एक चीज पर सबसे ज्यादा गर्व कर सकता है तो वह सुरों पर कर सकता है और जब स्वर लग जाता है तो वह ईश्वर के पास पहुंच जाता है। स्वर जब लग जाता है, जैसे सुषमा जी का स्वर लगा था... (व्यवधान) मेरा स्वर अभी लगा नहीं है... (व्यवधान) स्वर जब लग जाए तब ही सारी बात है। ईश्वर को तो हमने कहीं नहीं देखा है और परमात्मा को हमने बहुत तलाशा लेकिन हमें संगीत में ही थोड़ा सुकून मिला कि हाँ परमात्मा हैं। जब हम नौ वर्ष के थे तो बाबा अलाउद्दीन के पास बैठते थे तो वह जब साज बजाते थे और वह केवल एक साज नहीं बजाते थे... (व्यवधान) अमजद अली साहब के पिताजी भी ग्वालियर के थे, ग्वालियर भी एक बड़ा ठिकाना है। घराने तो हमारे यहाँ हर पचास किलोमीटर पर हैं। धुपद का बहुत बड़ा ठिकाना है। जो बात मैं रखना चाहता हूँ, इस परम्परा में कुछ लोग जिन्हें सुषमा जी ने याद किया, वे तो अतुल्य हैं। कुछ लोगों को राज आश्रय मिल गया लेकिन जो लोक गायक हैं, उनको राज आश्रय भी नहीं मिला और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद उनको आश्रय नहीं मिला। यह सारा संगीत धरती से ही निकला है। मैं एक बार अयोध्या की तरफ गया हुआ था, रात को सो रहा था। वहाँ जो स्वर था, उसकी जो गलाबाज़ी थी, उसके स्वर में ऐसी ताकत थी कि भीम सेन जोशी और उसके स्वर की तुलना की जा सकती है क्योंकि भीम सेन जोशी के स्वयं में ताकत थी। उनके गले में इतनी ताकत थी। जब मैंने वहाँ गीत सुना तो गीत गाते-गाते अंत में उसने यह कहा कि राम को जब वनवास हुआ और जब अयोध्यावासी विदाई करने गए, विदाई करते-करते जब उनके पीछे गए, राम ने जब नाव पर पैर रख कर पीछे मुड़ कर देखा तो एक आदमी भी नहीं था, उसने गीत में ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। मैं भूल गया नहीं तो मैं दौहराता। मुझे नहीं मालूम था कि यह बिल आप अचानक ले आएंगे। लेकिन मैं वह गीत लाता। यह देश सदियों से इसलिए भुगत रहा है क्योंकि सत्ता के पीछे दौड़ता रहा। यहाँ जो राजा-महाराजा भगवान कहलाते हैं। कई तरह के दुर्गुणों में, एक गुण जो था वह सुषमा जी ने बताया है संगीतकारों को आश्रय देते थे। उसका दार्शनिक मतलब यह था कि राम जब वनवासी हो गया तो एक भी आदमी उनके साथ नहीं था। जब वह राज पर था तो अयोध्या की पूरी की पूरी भीड़ उनके पीछे थी। इसलिए मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की धरती की यदि कोई शक्ति कहीं से निकलती है तो सात स्वयं से निकलती है और सात स्वयं की साधना असल में आदमी को एक सुकून के ऊपर ले जाती है। आपने बहुत सुना होगा लेकिन अली अकबर के सरोद को जरूर सुन लेना। हिंदुस्तान में सरोद अमजद अली तो बजाते हैं लेकिन अली अकबर की सरोद आपको कमरे में सोते हुए उठा देगी, यदि आप उसे तबियत से सुनेंगे। इसलिए आपने अच्छा काम किया है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि गरीब आदमी जब गाता है, जब छोटा आदमी गाता है, वह तो कई तरह की गरीबी के दौर से, कई तरह की जिंदगी की तबाही और दौर से गुजरते-गुजरते जब आता है और जब वह पहली बार गाना गाता है या कोई चीज़ दे देता है। जिनके नाम सुषमा जी बताए वे तो लाखों रूपये लेंगे। लेकिन जो पहली बार गाने जाता है, चूंकि बाजार के अंदर इनका नाम हो गया। लेकिन जो नया कलाकार आता है, उसकी पेमेंट पर इस बिल में कोई चिंता नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल: शरद जी, सब है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अच्छा है। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। वैसे आपने जो सात-आठ सवाल रखे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ।

सभापति जी, मैं ज्यादा बात न कह कर के आपको, सुषमा जी को और शरद साहब को भी, वे चले गए हैं लेकिन उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ और जो छूट गए हैं, जरा उस पर एक व्यापक बहस कर के और खास कर हिंदुस्तान के जो लोक संगीत हैं और संगीतकार हैं, कलाकार हैं, उनके बारे में भी कोई चिंता हमें करनी चाहिए। वे हमारी सबसे बड़ी विरासत हैं। पूरा का पूरा जो वटवृक्ष ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी जड़ है। उसकी कोई ताकत है तो यही लोग हैं। मंत्री जी ने आज जो अध्यादेश लाया है, मैं इसका पुरजोर दिल से समर्थन करता हूँ और जिन लोगों ने इस पर बोला उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, कपिल सिब्बल साहब ने जो कॉपीराइट बिल प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बोलने से पहले तहेंदिल से, सागर की गहराइयों से भी ज्यादा मान कर इस बिल का समर्थन करता हूँ।

अभी प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जिन महान कलाकारों के पत्र को पढ़ कर उनके सिग्नेचर का नाम ले कर इस सदन में प्रस्तुत किया, उन सब के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी के सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे बिल को ड्राफ्ट करने में अपना योगदान दिया है। आदरणीय मंत्री जी आपको भी धन्यवाद कि लिस्ट ऑफ बिज़नेस में जितने बिल थे, आपने उन्हें पेंडिंग कर के इस बिल को प्राथमिकता दी। लोकसभाध्यक्षा जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही संजीदगी से बैठ कर आदरणीय सुषमा स्वराज जी को सुना और उन्हें इस पर समर्थन भी दिया और बिल को प्रस्तुत करने में प्राथमिकता दी इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। आजादी के 60 से ज्यादा वर्षों के बाद आज हम उन नामचीन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के संगीत, हिंदुस्तान के साहित्य और हिंदुस्तान के गीत को एक मान्य दिया है। उनके लिए हम इस बिल को ले कर आए हैं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से संपूर्ण सदन, एक-एक सदस्य इस बिल को समर्थन देने के लिए अपनी बात कहेगा। मैं चाहूंगा कि, कीर्ति आज़ाद जी चले गए हैं, प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय सुषमा स्वराज जी से कहूंगा कि इसी प्रकार से एक बिल और प्रस्तुत होना चाहिए जो हमारे ग्रामीण खेल - गिल्ली डंडा से लेकर, कुश्ती, हॉकी कबड्डी आदि जो खेल विलुप्त होते जा रहे हैं उन पर भी एक बिल आना चाहिए। आज बहुत से खेल हैं। केवल एक आईपीएल या क्रिकेट को ले कर हम डंका बजा रहे हैं और अपनी छाती व पीठ को ठोकते हैं। श्रद्धा जी ने कहा कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं, जो आज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जो लोक गीत के माध्यम से सदियों से इस भारतवर्ष की संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक और ऐतिहासिक चित्रण को अपनी-अपनी भाषाओं में, अपने-आपने राग से, अपने-अपने संगीत से प्रस्तुत करते हैं। वे भी विलुप्त होते जा रहे हैं। अभी मेरे पास एक एनजीओ के लोग आए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोक गीत गाने वाले लोग हैं, जिनको कोई आज सुनता ही नहीं है, कभी-कभी हम लोग अपने क्षेत्रों के ग्रामीण कार्यक्रमों में जाते हैं तो वे बेचारे ढोलक, हारमोनियम और मंजीरा ले कर लोक गीत प्रस्तुत करते हैं। आज हम इसे भूल रहे हैं। उनको भी याद करने की जरूरत है। एनजीओ के लोग नाम इकट्ठा कर के उनको कुछ मानदेय देने की बात कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिनको आज अवसर और मौका नहीं मिला। वे धीरे-धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आज जो फिल्म हम लोग बनाते हैं, अभी इसी सदन में तमाम वक्ताओं ने कहा कि पुरानी फिल्में, पुराने संगीत और गीतों का क्या मतलब था। उनका मतलब था, अर्थ था लेकिन आज के गीतों का क्या मतलब है? अभी आदरणीय प्रतिपक्ष की नेता ने कहा कि - इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। वहीं पर एक टोन और चलती है - कोलावरी डी। वह भी हम लोग सुनते हैं। बड़ा अंतर है। यही कारण है कि आज का नौजवान जो फिल्म देखता है और जो गीत-संगीत सुनता है, उसी को अपने चरित्र में ढालता भी है। इसको भी हमें बड़ी गंभीरता और गहराइयों से सोचना पड़ेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन ये फिल्में, कहानियां और पटकथा किस ओर ले जा रही हैं। हमें इस पर भी मूल्यांकन करना है। दूसरी बात आज जो रंगमंच और रचनाकार हैं, आज जो निर्माताओं की बात कही जा रही है कि कुछ निर्माता विरोध कर रहे हैं। वे गलत कर रहे हैं। अगर ये रचनाकार, साहित्यकार, गीतकार और संगीतकार न होते तो फिल्म कोई मायने नहीं रखती। कोई भी कलाकार हो, चाहे वह लेडीज हो या जैन्ट्स हो, अगर उनका सम्मान बढ़ता है तो इन्हें कलाकारों की रचना, पटकथा से, इनके संगीत से, इनके गीत लिखने से ही उनका सम्मान बढ़ता है और वे याद किये जाते हैं। प्रस्तुतिकरण में जो कलाकार उसे प्रस्तुत करता है, वह उसमें चार चांद लगाता है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा था।

दूसरी तरफ, हमें भूलना भी नहीं चाहिए, चूंकि बहुत विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कोई भी फिल्म की कोई कथा या कोई भी गीत, उर्दू का शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया, हम उर्दू को भी याद करना चाहते हैं। अगर भारतीय सभ्यता में देखें, जो हमारी फिल्में बनी हैं, शुरू से लेकर अंत तक, तो उनमें उर्दू का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उर्दू का भी नाम हमें लेना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान उर्दू का रहा है। ...(व्यवधान) बिना उर्दू के शेर-शायरी का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है।

अभी आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने शेर-शायरी में मिर्जा गालिब और मोहम्मद रफी का भी नाम लिया। मैंने तो इस सदन में जीरो ऑवर में यह भी मांग की थी कि ऐसे कलाकारों को मरणोपरांत कम से कम भारत रत्न सम्मान देना चाहिए। उनको पुरस्कार देना चाहिए, मैंने कई बार इस सदन में इस बात को रखा। ...(व्यवधान) मुबारक बेगम, जिनकी जयंतियां, जिनका अभी हम लोगों ने सम्मान किया, तो मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे पिता जी भी रेडियो आर्टिस्ट थे, वे भजन और गज़ल गाते थे, स्वर्गीय धर्मवीर जी यहां भारत सरकार में मंत्री भी थे। एक कहानी उन्होंने सन् 1975 में फिल्म में दी थी, उस फिल्म का नाम था, उस कथा का नाम था - आजादी की मशाल। वह बड़ी अच्छी फिल्म थी। मैंने कहा था कि हमारे लोक सभा टीवी चैनल पर जो तमाम गीत, संगीत और फिल्म दिखायी जाती हैं, उसमें आजादी किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, किस प्रकार से धर्म को लेकर जो हमारे प्रस्तुतिकरण होते हैं, उसको जरूर दिखाना चाहिए। आज ऐसी बात नहीं है, अन्य चैनल्स को तो लोग देखते हैं, लेकिन वहीं लोक सभा टीवी चैनल के कार्यक्रम को भी लोग देखते हैं, राज्य सभा टीवी चैनल को भी लोग देखते हैं। ऐसी फिल्मों को, ऐसे संगीत को, ऐसी पटकथा कहानियों को, ऐसे इतिहास को हमें दिखाना चाहिए। वहीं इसमें चार चांद लगाने वाले हमारे जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ऊपर बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर अच्छी फिल्म आयी है, उसकी अच्छी कहानी है, उसमें अच्छे कलाकार हैं, तो आप लोगों ने उसकी तारीफ भी की है। प्रिंट मीडिया के लोगों ने उसको बराबर दिखाया भी है। मैं विज्ञापन को छोड़ देता हूँ क्योंकि विज्ञापन में तो हर फिल्म को ऐसे दिखाया जाता है कि हमारी फिल्में चलें, लेकिन वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है। वहीं पर तमाम हमारे और भी कलाकार हैं, जिनको आज इस सदन के माध्यम से याद करते हुए मैं इस बिल का समर्थन इसलिए भी करूंगा कि ऐसे बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज भी बहुत से लोग जो मुफ्तिसी से गुजर-बसर कर रहे हैं, उनको कम से कम जानने-पहचानने का, देखने का मौका मिला। आप यह बिल लेकर आए, मैं इसका तहेंदिल से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि कम से कम उनकी मुफ्तिसी में चार चांद लगाने का काम किया, यह बिल इस रूप में आया, इन्हें बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the chance to speak on the Copyright (Amendment) Bill, 2010.

The Minister has rightly expressed his willingness for better proposals covering various aspects of the society regarding copyright. I wish to congratulate the Minister for this. Though it is late, it is better late than never. However, I have some observations and certain objections. The State has the responsibility to protect the rights of the creator, but it should also ensure the rights of the user as well as to avoid too much commercialization so that the user gets the product at an affordable price.

At the same time, we see many of the artists, who are exploited by the producers, are living in misery. The Government should take care of them and provide pensions to these artists so that they can live gracefully.

Going through the statement of Objects and Reasons of the Bill, it seems that the Act is now amended to comply with the World Intellectual Property Organisation (WIPO) Copyright Treaty, 1996 and WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996. I wish to know whether India is a signatory to these Treaties. If not, how is it claimed in the Objects and Reasons?

There is a new amendment to delete lines 23 to 25 on page-2 with regard to 'Parallel Import'. One can import from cheaper market in countries having higher prices. If that right is withdrawn, the balancing mechanism will go. This is very important for the user. The country follows international exhaustion of rights. It is known as 'the doctrine of first sale.' If you look into the Patent Act, section 1078 is there. That is for 'Parallel Import'. If you look into the Trade Marks, section 33 is there. That is also for 'Parallel Import'. If you look into section 6 of TRIPS, that is also for 'Parallel Import'. But the Minister has removed 'Parallel Import' cleverly to protect the interest of the publishers. This is against the recommendation of the Standing Committee. I request the Minister to withdraw that amendment.

When India is not a signatory to WCCT and WPT, what is the relevance of section 36? This is quite unnecessary.

It is unclear as to why Directors of films are allowed copyright for 70 years while creator of other works are allowed only for 60 years. Why is this discrimination? Hope Minister will please look into it.

With these words, I wish to conclude by supporting the Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Mr. Chairman, thank you very much for giving me this opportunity.

The unity from both the sides and the support that has been noticed in this House is indeed very heart-warming. Although we learnt that democracy is full of divergent views which should be tolerated, understood and digested, here we always see that the divergent views have no place and it is always a one-upmanship on all sides that we are 'Mr. Know-it-all'.

This is a good Bill. We obviously all know what would be the outcome of this debate. The Bill will get passed. But, what troubles many outside the House and what troubles people like me also is that this Bill is primarily a one-sided Bill that does not take into consideration the views of people who invest money in art, culture and who actually promote art and culture. I am not talking only of north-Indian musicians. There are musicians all over this country. There was M.S. Subbulakshmi. There was Balakrishna. There were many in Odisha like Jitendra who sang Rangavati. There have been umpteen number of musicians, song writers and they have virtually no protection as to their creative art. If this Bill sincerely wants to give them protection, that is an exceedingly welcome step.

But, here it seems more like a small little step towards circumventing the general attitude that the country has built up over a period of time, the animosity towards the dangerous portions included in the copyright laws, in the intellectual property right laws, the patent laws and so many other laws that are very inherently anti-India and are very inherently aimed at building an atmosphere where the Indian eventually over a period of time will be crushed.

Sir, if you see the Bill, the first page of this Bill says that in sub-clause (v) for the words 'cinematograph film or sound recording, the producer, and', the words 'cinematograph film, the producer and the Principal Director' shall be substituted. This Bill looks like a Bill which is aimed only at the Hindi film industry.

Now, Indian culture, let us not be mistaken, is not ensconced, is not limited within Indian films and especially Hindi films.

14.01 hrs (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

All our music-based programmes today, whether you see Antaksharis or whatever the hon. Minister mentioned, are only encouraging our young people to sing Hindi film songs, although this country used to pride itself in possessing so many different languages where different thoughts have emanated in the past.

Many of my colleagues would have traveled all over the country. I also have done a little bit of travel in other places, nearby countries like Vietnam, Cambodia and such neighbouring countries. We see that they are also in no way inferior to us. Let us not assume that we are the greatest or that we are unique. We are what the world is. We are part of the world. We inherit our culture and our history same as other people have inherited their history and their culture, but the only difference today is that most of them do not have a burgeoning successful and money-spinning film industry like the Hindi film industry, which some people call Bollywood. But they have their cultures safeguarded in many different ways.

Today a simple question would be this. Suppose a song is sung by Lata Mangeshkar and late Kishore Kumar; it is written by Majrooh Sultanpur; the music could be by R.D. Burman or by Shanker Jaikishen ...(*Interruptions*) I would love to do it, but I am sorry that I cannot sing in Hindi.

This Bill is nowhere very clearly spelling out where exactly the protection will go. Will it go to the singers? Will it go to the song writers? Will it go to the musician? The idea that it will be divided is not very clearly enunciated here. It is not specifically mentioned here.

Apart from that, our classical singers, as the House noted earlier, only when they get recognized elsewhere in other countries, then only we come to acknowledge them and we realise that they are great. If the Beatles would not have joined in the Bangladesh Concert, maybe Ravi Shankar or his daughters would not have been such known figures in Indian social scene. Same has been the case with many others.

In the US, ESCAP is there which safeguards their musicians. It does not safeguard only the producer but also the musician, the creator, the person who wrote the song, whether it is a Blues music performer or the song writer. There, the Act goes to protect the primary musician or the primary song writer, but here we have seen that even in Hindi movies, they have taken old songs and re-done them. It is not like today where they do the re-mixes but even in old Hindi films, they have taken classical songs and ragas and turned them into music. So, when you are trying to give a copyright on that, a copyright on a raga, then who gets the benefit? Who can claim that he or she created that raga? Is it the musician? Is it the music director? Is it the singer? Is it the song writer? So, it is a very unclear picture, and this picture will eventually not help the people, the neglected musicians whom you are really focusing to help, the neglected artistes not only in the sphere of music but even in arts. Now-a-days, there are so many other varieties and so many other paradigms of art, so many other worlds of art which are being created that we have to take everything into consideration when we pass such a Bill. Now, these are learned lawyers. I am nobody to talk with my half-fried brain and ignorance.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Yes, I am concluding. I am nobody to suggest to them, but as lawmakers of this country, I would expect that this Bill should not be passed in haste. I am saying this because many people think that it is a Bill, which is a precursor to other patent laws and other intellectual property right laws, which will be what the West wants us to pass. It is because we are not in those formal bodies. Therefore, this is a backdoor entrance to help the American Companies -- whether they are drug companies or such other things -- that since you have this in the field of music; since you have this in the field of culture; then why cannot you do the same thing in the field of drugs and chemicals?

If that be the case, I would request the Government and request the learned Minister to kindly rethink on this matter. Let us not get blown away because there is support flowing in from all sides because all sides may be having the same colour that you also have. Let us please rethink on this matter, and let us not create a precursor, which will eventually help in crushing and damaging the same assets; those same people; and those same poor musicians.

You made this House proud when you said that you personally helped a great musician. We all were very happy. We wish that we also had opportunities like this. We are not such a successful lawyer that we can write such a cheque like you, but I wish that I could honestly do something for this country in that physical term also. But eventually, since the Chair has asked me to wind up, I will request you to please reconsider this Bill and let it not go through as a half-baked thing that will only be used as an instrument to beat this country in other fora.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। आज मैं कॉपीराइट (अमेडमेंट) बिल, 2012 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वह यह बिल लाए। ऐसे तमाम साहित्यकार, कलाकार, शायर लोग थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने केवल आज़ादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि इस देश से मानवता का संदेश भी दिया। मैं नेता, प्रतिपक्ष को भी बधाई दूंगा जिन्होंने अपने सार्वभौम भाषण में गंभीरता से ऐसे बिल के समर्थन में विस्तार से अपनी बातें कही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह हो सकता है कि कुछ लोग इसके विरोध में हैं। लेकिन, मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने इतिहास बनाया है, इतिहास लिखा है, और जिस इतिहास, जिस रचना की बुनियाद पर खड़े होकर हमने इस मुल्क की आज़ादी हासिल की तथा इस देश से मानवता का संदेश दिया।

मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूँ, उस उत्तर प्रदेश का ऐसे कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने दुनिया में मानवता का एक संदेश दिया। उन्होंने 'भागो नहीं, दुनिया बदलो', 'वोल्गा से गंगा' नामक किताबों की रचना की। वे आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं।

अल्तामा शिबली नुमानी हमारे आजमगढ़ में पैदा हुए जिनकी लिखी हुई किताबें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं हैं। इन लोगों के हित के लिए ही आप यह बिल लाए हैं।

महोदय, मैं संसदीय क्षेत्र घोसी से सांसद हूँ जिसका मुख्यालय मऊ है। पंडित श्याम नारायण पांडेय, डुमराव, मऊ के रहने वाले थे। उन्होंने 'हल्दी घाटी' की रचना की। इन्होंने लिखा था-

रणबीच चौकड़ी भर-भर कर, चेतक बन गया निराला था।

राणा प्रताप के घोड़े से, पड़ गया हवा का पाता था।।

जिनकी बात सुनकर के आदमी के अन्दर जोश पैदा होता है, ऐसे लोगों के लिए अभी तक हम कुछ कर नहीं पाये, उनके लिए आप यह बिल लाये हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

जहां सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता की रचना की, लिखी और आज इतिहास के पन्नों में वह पढ़ी जाती है। "बुन्देलों के हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।" ऐसे तमाम रचनाकार, साहित्यकार, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके लिए आप यह बिल लाये हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर जो गाती हैं, उसको सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह गीत सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गये थे। "ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।" मुझे खुद नहीं पता कि यह रचना किसने लिखी है...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : कवि प्रदीप ने और कवि प्रदीप को हमारे समय में दादा साहब फाल्के एवार्ड दिया गया था।...(व्यवधान) दारा सिंह जी, एक और खुशखबरी है। कवि प्रदीप एक अकेले गीतकार हैं, जिनको दादा साहब फाल्के एवार्ड मिला। कवि प्रदीप को दादा साहब फाल्के एवार्ड से नवाजा गया है।...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सुषमा जी, जरा अपने यहां एक गोष्ठी करिये, जहां इनको जिंदा किया जाये।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारे ही मऊ के रहने वाले अमीर हसन इस्लाही, जिन्होंने कुरान की व्याख्या की, जो दुनिया की हर भाषा में है और आज दुनिया में उसको पढ़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे माननीय सिब्ल साहब, जो विद्वान मंत्री हैं, यह बिल लाये हैं तो मैं निश्चित रूप से ऐसे तमाम इतिहासकार, रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो हमारे आजमगढ़, निजामाबाद के रहने वाले थे, फ़िराक गोरखपुरी, सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, शबाना, संतोष आनन्द जी, महादेवी वर्मा जी, सुमितानन्दन पन्त जी ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्त के कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार, पैदा हुए, जिनके हित के संरक्षण के लिए माननीय मंत्री जी आज़ादी के बाद पहली बार आपने यह बिल लाकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि केवल हाउस में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में इसकी तारीफ़ की जा रही है, क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे लोगों को पूछा नहीं, जिन्होंने इस देश की बुनियाद बनाई, जिस बुनियाद पर खड़े होकर आज हम दुनिया के मुकाबले सीना तानते हैं। आज ऐसे लोगों की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, ऐसे लोगों की याद में आप जो बिल लाये हैं, इसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से भरपूर समर्थन करता हूँ।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Sir, I thank you for giving me this opportunity. My speech would be very brief. Since the Bill is taken up for consideration in a hurried manner, we could not go through fully the provisions of this Bill as to what it contains. But, anyhow, I would like to make a few remarks.

At the outset, I welcome the Bill. The Bill, now under consideration, has seen the light of the day after being kept in the dark for nearly two years. Hitherto, music composers, lyricists and other creative writers have been given one time payment only for their works and creations. But the Bill now provides payment of royalty to them continuously. The artistes who are in indigent circumstances will now be greatly benefited monetarily after the passage of this Bill.

While music creators, authors and lyricists welcome the Bill, music companies are upset over it. Section 31(d) of the Bill ensures royalty for the authors of literary works, musical works, and sound recordings. But there is a feeling among the music companies that it would restrict revenues of film makers by imposing statutory licensing on the broadcasting section, which the companies feel it as unfair. I feel that their grouse should also be looked into so that it does not lead to litigation between the creators and the companies. I say this because they are all one family. One depends on the other. They work under the same umbrella, under the same roof. So, this should not lead to litigation between them. I feel their problems should also be looked into.

I would request the Government of India to address the issues raised by the aggrieved persons also. On the whole I welcome the Bill, with an appeal to the Government to ensure that needless litigation is avoided. This is a welcome step. This type of statutory licensing regime is not found in other countries except in India. I welcome the Bill.

श्री सानुमा खुंगुर बैसीमुथियायी (कोकराझार): महोदय, आपने मुझे टी कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल, 2012 के ऊपर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं मंत्री जी श्री कपिल सिब्बल साहब को हमारी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पार्टी की तरफ से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। I do feel that this Bill has been brought to provide equitable justice to the artistes of this great country India by way of bringing several amendments to the concerned Bill. I would not go into the details of the Bill, but I do have some demands and suggestions to make. हमारे हिन्दुस्तान के जो इंडेजिनस बोडो ट्राइब्स हैं, उन बोडो ट्राइब्स के बीच में कई कलाकार, संगीतकार और चित्रकार पैदा हुए, उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं यहां लेना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बहुत मशहूर कलाकार पैदा हुआ था, उसका नाम स्वर्गीय विष्णु प्रसाद राभा था। असम के लोग उनकी कलागुरु के रूप में पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। एक दूसरा बोडो ट्राइबल संगीतकार पैदा हुआ था, उसका नाम स्वर्गीय नीलेश्वर ब्रह्म था। इन दोनों बोडो ट्राइबल संगीतकारों को हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से जिस ढंग से इज्जत देनी चाहिए थी, जो सम्मान देना चाहिए था, वह आज तक उन्हें नहीं दिया गया है। उसके बाद मैं दो व्यक्तियों के नाम लेना चाहता हूँ। एक बोडो जाति के हैं और दूसरे त्रिपुरी कोकबोरोक के हैं। त्रिपुरी कोकबोरोक ट्राइब में दो आदमी पैदा हुए थे, एक का नाम था स्वर्गीय सचिन देब बर्मा और दूसरे का नाम था राहुल देब बर्मा। हिन्दुस्तान की फिल्म दुनिया में इन दो कलाकारों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आज के मशहूर संगीतकार सचिनदेव वर्मा और राहुलदेव वर्मा इन आदमियों को जिस ढंग से इज्जत मिलनी चाहिए थी उन्हें हम इज्जत नहीं दे पाए हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि इन दो व्यक्तियों को भारत रत्न एवार्ड दिया जाना चाहिए। उसके साथ-साथ मेरी एक मांग है कि भूपेन हजारिका नाम के एक मशहूर असमिया संगीतकार थे जिनकी मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। आज असम के सारे लोग मांग कर रहे हैं कि स्व. भूपेन हजारिका को भारत रत्न एवार्ड दिया जाए। लेकिन आज तक उस इनाम को नहीं दिया गया है। उसके साथ-साथ एक महशहूर स्कल्पचर और चित्रकार पैदा हुए थे उसका नाम था डा. शोभा ब्रह्मो, गुवाहाटी में जो आर्ट कॉलेज था वह उस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका भी देहांत हो गया।

मैं मांग करता हूँ कि कम से कम शोभा ब्रह्मो को हिन्दुस्तान सरकार की तरफ से एक नेशनल एवार्ड दिया जाए। मेरी एक और मांग है कि विश्व भारती रविन्द्र विश्वविद्यालय शांति निकेतन में एक कॉलेज है, उस कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल डाक्टर जनक झंकार नरजरी वह इतना मशहूर स्कल्पचर हैं कि दुनिया भर में लोग उनका नाम जानते हैं; लेकिन उनको जिस ढंग से इनाम और सम्मान देना चाहिए था आज तक नहीं दिया गया है।

मेरा कुछ सुझाव है कि हिन्दुस्तान की संस्कृति की, अगर इसको बचाना है तो कम से कम हमारे हिन्दुस्तान में जितने ट्राइबल भाषा हैं, जैसे- बोडो, त्रिपुरी, संथाली और मुंडा भाषा इन भाषाओं में फिल्म बनाने के लिए हिन्दुस्तान सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। आज सिर्फ हिन्दी भाषा से दुनिया भर में हिन्दी फिल्म बनाए जाते हैं, लेकिन ट्राइबल भाषा का इस्तेमाल कर के हिन्दुस्तान सरकार आज फिल्म क्यों नहीं बनाती है? Why does the Government of India not include the tribal languages in the list of official languages? इसके साथ-साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने ट्राइबल लोग हैं उन लोगों का जितना फोक म्यूजिक, फोक डान्सेज, फोक कल्चर हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी प्रगति और विकास के लिए अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सानुमा खुंगुर बैसीमुथियायी : अंत में, मैं आपके जरिए दरखास्त करना चाहता हूँ कि कपील सिब्बल साहब जी मेरे सारे मांग को पूरा करने के लिए आप जरूर कदम उठाएं।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I thank you for the opportunity to speak on this Bill.

I rise to support the Copyright (Amendment) Bill, 2012. The principal Act is of the year 1957. The Act has undergone five amendments so far and this is the sixth amendment. The last amendment in 1999 introduced some minor changes to comply with the obligation under the trade-related aspects of the Intellectual Property Rights. This Bill has been brought to keep pace with the development of information and communication technology.

I welcome the amendments brought before this august House by the hon. Minister. At the same time, I would like to express my views on this Bill.

The publishers are not happy because of amendment to Section 2 (m) which says that copy of work published in any country outside India with the permission of the author of the work and imported from that country to India shall not be deemed to be an infringement. The objective of the amendment is that opening up of markets without boundaries or territories for films, books and music should result in offering more varieties to the people. The industry feels that eliminating territories will curtail the Indian publishers, the ability to have India-specific rights.

The royalty which the writers are getting through the publishers is very meager. They are getting only 7.5 per cent. They have all suffered. The hon. Minister, who has attempted to help the Film Industry, has to take note of this also. I hope the hon. Minister will rectify this discrimination towards the publishers.

Sir, Clause 52(b) grants copyright exemption for conversion of books only for Braille and sign languages. It excludes people affected by cerebral palsy, dyslexia and low vision.

It is also a welcome step as a new provision is included in Clause 65(a) and (b) which helps our publishing, film and music industry including authors to protect their works from piracy in the Internet world.

Choreography is protected under Section 2(h) and Cinematography is also protected. These are all welcome steps.

At the end, I would like to say that we have to ensure that the amendments and the rights of the creative people and producers are safeguarded and implemented because often there is a gap in between the actual law and its enforcement in practice.

With this, I support the Bill.

श्री कपिल सिब्बल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सब लोगों, खास तौर पर विपक्ष की नेता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है। कुछ discordant voices मैंने जरूर सुनीं। उसका भी जो ध्यान आपने मुझे दिलाया, उसे मैं नजर में रखूंगा। कोई ऐसी दुविधा हमारे सामने आई कि जिन्हें अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। उसके बारे में भी हम कदम उठाएंगे। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। सुषमा जी ने विस्तार से बातें बताई हैं। इसकी शुरुआत 1977 में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने Indian Performing Rights Society vs Eastern India Motion Picture Association के एक फैसले में कहा। वह फैसला सुप्रीम कोर्ट का 1977 का था जिसमें यह कहा गया कि मजबूरन कलाकार को फिल्म प्रोड्यूसर्स को सहमति देनी पड़ती है, यह अन्याय है। यह बात आज की नहीं है, 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसके बाद जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फुट नोट में अपनी जजमेंट में यह कहा और मैं उसे कोट करना चाहता हूँ।

"The authors and music composers who are left in the cold in the penumbral area of policy [should] be given justice by recognizing their rights when their works are used commercially separately from cinematograph film, and the legislature should do something to help them."

सुषमा जी, यह बात आज की नहीं है, 1977 में उठी थी। मुझे दुख इस बात का है कि कई सरकारें आईं और गईं। कई ऐसे मंत्री आए जिनको कलाकारों के प्रति बहुत प्यार भी था। लेकिन उन्हें हम लोग आगे नहीं ले पाए। पहली बार वर्ष 2009 में यह बात हमारे सामने आई। स्टैंडिंग कमेटी को विधियां बाद में लिखी गईं, लेकिन ये सब विधियां हमें व्यक्तिगत तौर पर लिखी गईं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने मुझे स्वयं विद्दी लिखी और यह बताया कि आप इस पर गौर कीजिए। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष की नेता, स्टैंडिंग कमेटी और सभी लोगों का इसमें योगदान है। यह कलैक्टिव एफर्ट होता है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक स्वर से इसका समर्थन किया।

मैं एक बात और रखना चाहता हूँ। सेशन 17, 18 और 19 का जो संशोधन है, यह मंत्रालय का था, स्टैंडिंग कमेटी ने इसको समर्थन दिया। ऐसा लग रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी ने संशोधन किया और हमने समर्थन दिया। मैं केवल रिकार्ड करैवट करना चाहता हूँ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि this is something that was raised by Shri Satpathy ji, a very important point and he mentioned how we are going to distribute it amongst the various stake-holders. That is a very important point. I might just mention to him that as far as rights are concerned, they are protected. Literary works, artistic works, dramatic works, musical works, cinematograph, film and sound recordings are all protected. And those rights have already been established under Section 14 of this Act. With regard to the question how these royalties are to be distributed, these are to be distributed by the Copyright Society.

For example, fifty per cent of royalties will be collected by authors and composers but they will share these 25 percentage. So, that is also provided by the Copyright Society itself. The performers will now have to set up their societies in terms of which the performers will get their royalties in terms of those performances. So, that is all set out by virtue of convention and by virtue of agreement between the parties. So, that is not an issue.

There is one another issue of parallel imports that was raised by Mr. Saha. I just wanted to mention here that as far as parallel imports are concerned, the Indian Publishing Industry came to me. They have said that they get exclusive rights for royalty. For example, I get royalty for publication in India. I am an author who is also publishing in England. So, I will have an exclusive right for royalty in England. What happens sometimes is that my books in England are not sold – it means the market is not reactive to those books positively - then those books, therefore, become redundant. So, if you allow parallel imports, those books will be sold at zero prices in India because they want to discard them and I will get no royalty.

The publishing industry came to me and saying that please do not allow parallel imports. I was not sure and the Standing Committee gave me a suggestion that I should be a little cautious in moving forward in this regard. So, I have set up a Committee. The NCAER is looking into it. I am going to get that report sometimes in August or September. As soon as I get the report, I will apply my mind and if it is necessary for parallel imports to be allowed, we will allow the parallel imports.

I just wanted to clarify that particular point. Now, the folk performances will also be protected. Somebody will have to file a copyright for those folk performances. If anybody wants to use those folk performances for commercial use will actually get royalty.

There is one last thing that I would like to mention. Most authors when they get old, they have no source of income. They have given their lives to music, to 'kala'. कई बार हमने देखा कि जब वे कलाकार वृद्ध होते हैं, तो उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं होता। अब उनको वृद्ध अवस्था में भी रॉयल्टी मिलेगी। जो रॉयल्टी पहले नहीं मिलती थी, वह अब मिलेगी, क्योंकि वे साँक्स तो इस्तेमाल होंगे, उनका कमर्शियल यूज़ होगा। जब रॉयल्टी मिलेगी तो वृद्ध लोगों को, जो हिन्दुस्तान के महान कलाकार हैं, उनको वृद्ध अवस्था में भी विश्वास होगा कि रॉयल्टी के द्वारा हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी पायेंगे।

आज सारे सदन ने इकट्ठे होकर एक आवाज में जो इस बिल पर सहमति दी है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Now, I commend this Bill for the passing by this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Copyright Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 39 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 39 were added to the Bill.

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title
were added to the Bill.*

-

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

-